

मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत

संख्या-4086 / 111(2)/15-10(न०म०वा०)/2015

प्रेषक,

अरविन्द सिंह हयांकी,

अपर सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,

लोक निर्माण विभाग,

देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून दिनांक: 22 जुलाई, 2015

विषय- वित्तीय वर्ष 2015-16 में मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न 08 कार्यों की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

नहोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो०नि०वि० उत्तराखण्ड द्वारा मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत संलग्न विवरणानुसार प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये विभिन्न 08 कार्यों के प्रारम्भिक आगणनों, जिनकी लम्बाई 41.00 किमी० तथा लागत ₹ 416.68 लाख है, पर विभागीय टी०ए०सी० द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत ₹ 416.68 लाख (चार करोड़ सोलह लाख अड़सठ हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में संलग्नक के कॉलन सं०-5 पर उल्लिखित विवरणानुसार प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात् कुल 08 कार्यों हेतु ₹ 0.80 लाख (अस्सी हजार मात्र) की धनराशि, व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की महामहिन श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

- (i)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को सनयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदुपरान्त शासनादेश सं०-1764/111(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (ii)- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- (iii)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नाम है, स्वीकृत नाम से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।
- (iv)- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
- (v)- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
- (vi)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेंट रूल-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।
- (vii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०- 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (viii)- उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन०पी०पी०, नूनि-अधिग्रहण, टैलिली-शिफ्टिंग-आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं०-22-लेखापी०शक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कों-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-05-सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण-00-24 बृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

(ix)- स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x)- वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2016 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य अथवा उसका कोई भाग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा उसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(xii) प्रथम वर्ण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई डिजाइन/मानक, पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो नित्यव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तदनुसार कार्यवाही की जाय।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान राशि 22 लेखापार्शक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें -आयोजनागत तथा अन्य व्यय-03 राज्य सेंटर-02 नया निर्माण कार्य-24 बृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 284/XXVII/(2)/2015 दि०- 15 जुलाई, 2015 को प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

सल्लाहक- यथोपरि।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अफ़र सचिव

संख्या- 4886 / II/(2)/15-10(न०न०घ०)/2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ऑबराय मोर्टर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
4. सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि., उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय चूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. मुख्यमंत्री घोषणा अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
9. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से

(ए०एस०पांगती)
उप सचिव

शासनादेश संख्या-4886 / 111(2)/15-10(मु0म0घ00)/2015 दिनांक 22 जुलाई, 2015 का संलग्नक

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र० सं०	कार्य का नाम	लम्बाई किमी० में	कुल स्वीकृत लागत	चालू वित्तीय वर्ष में व्यय हेतु अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
1	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-834/2015 के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकास खण्ड अगस्तमुनि में मणिगुह मोटर मार्ग से स्यालडोभा होते हुए खाली-खनोली तक 03 किमी. मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3.00	16.23	0.10
2	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या- 608/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र- लैन्सडौन के अन्तर्गत छिन्नखाल से कनान्दा तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	5.00	12.85	0.10
3	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-737/2015 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र- कर्णप्रयाग के विकास खण्ड गैरसैण के अन्तर्गत बाटाधार-देवस्थान -रोहिडा मोटर मार्ग का निर्माण।	4.00	61.60	0.10
4	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-742/2015 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र- कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिनली-बैनीताल मोटर मार्ग का जंगल चट्टी तक विस्तारीकरण कार्य।	8.00	94.40	0.10
5	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-740/2015 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र- कर्णप्रयाग के अन्तर्गत नटोली-खगोली-रा.इ.का. उज्जवलपुर- कण्डवाल गांव (सैन) तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	5.00	59.00	0.10
6	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-741/2015 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र- कर्णप्रयाग के अन्तर्गत बगोली-जैताकोटी- ग्वालखेत -पैखेली मोटर मार्ग का बैनीताल तक विस्तारीकरण का निर्माण कार्य।	10.00	118.00	0.10
7	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-995/2015 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र- बद्रीनाथ के अन्तर्गत जिलासू-झिलोटी मोटर मार्ग का नव निर्माण।	3.00	30.00	0.10
8	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1079/2014 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र-थराली के अन्तर्गत मींग गंधेरा-गढ़कोट मोटर मार्ग से नौगाँव, मरोड़ा, कंसोला हेतु मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	3.00	24.60	0.10
योग:-		41.00	668	0.80

(कुल अस्सी हजार मात्र)

(ए०एस०भागती)
उप सचिव